न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 745/2020 तारीख रजू:— 17.08.2020

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. रामसहाय पुत्र बुधराम		जाति जाटव,
2. अमरलाल	पिसरान	निवासी आरेनिया का पुरा,
3. दयाराम	रामचरन	हिण्डौन,
4. मुनेश		तहसील हिण्डौन,
5. रामप्रसाद पुत्र किशोरी		जिला करौली,
6. देवेन्द्र	पिसरान	राजस्थान।
7. वीरसिंह	मनोहरी	
8. सेठसिंह		
9. मु0 प्रेम बेवा मनोहरी		
10. घीस्या पुत्र बालमुकन्द		—सायलान

बनाम

1. नारायण | पिसरान सरवन, जाति जाटव,
2. सुरजमल | निवासी आरेनिया का पुरा, हिण्डौन सिटी
3. तहसीलदार तहसील हिण्डौन, जिला करौली, राजस्थान
4. सरकार जरिये जिला कलेक्टर, जिला करौली राजस्थान ——————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान

निर्णय दिनांक :— 10.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि सायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ने इस सम्मानीय अदालत हाजा में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बावत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा को पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं. 857 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम आरेनिया का पुरा, तहसील हिण्डौन में सायलान बहिस्सा 1/2 एवं गैरसायलान सं0 1 व 2 बहिस्सा 1/2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात रही है, लेकिन वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर सरकारी सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 857 दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 323 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा एवं ख.नं. 319 रकबा 2 बिस्वा से तरमीम किया गया है। जिसमें साबिक खसरा नम्बर 323 सायलान बहिस्सा 1/2 एवम् गैरसायलान सं. 1 व 2 बहिस्सा 1/2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात रही है। लेकिन साबिक खसरा नम्बर 319 साबिक रिकॉर्ड में गैरमुमकिन पोखर रहा है। दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 857 में साबिक खसरा नम्बर 319 के 2 बिस्वा रकबे को सम्मिलित करते हुऐ नवीन रिकॉर्ड में 19 ऐअर रकबा तरमीम किया गया है अर्थात सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 व 2 के खातेदारी 2 बिस्वा रकबा गैरमुमकिन पोखर को सम्मिलित करते हुऐ सम्पूर्ण रकबा 19 ऐअर को ही गैरमुमकिन दर्शाते हुऐ सरकारी सिवायचक भूमि दर्शा दिया है। जो किन्ही भी परिस्थितियों में न्याय संगत नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि उक्त तथ्य की जानकारी सायलान को दिनांक 30/07/2020 को ख0नं0 857 के 91 एल0आर0ऐक्ट के नोटिस मिलने पर वादीगण सायलान ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तब जानकारी हो पाई, जिस पर सायलान ने समस्त रेवेन्यू रिकॉर्ड का अवलोकन करने से रेवेन्यू विभाग की उक्त गलती का पता चल पाया है। इसलिये दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी, जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे, कि गैरसायलान सायलान के ख0नं0 857 रकबा 0.19 है0 स्थित ग्राम आरेनिया का पुरा तन हिण्डौन, तहसील हिण्डौन से सायलान के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करे। ना ही सायलान को बेदखल करे नाही किसी अन्य से करावे। ऐसा कोई कार्य न करे। जिससे सायलान के हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तथा रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 18.03.2021 को गैरसायल सं01 स्वंय उपस्थित आया तथा गैरसायल सं02 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ इसलिए उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 19.02.2024 को गैरसायल सं0 1,2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 77 दिनांक 02.09.2014, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2068—71, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037—40, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस साबिक नम्बरान, पेश किये हैं।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 77 दिनांक 02.09.2014 के अनुसार खसरा नम्बर 857 रकबा 0.19 है0 किस्म नहरी 1 वाके ग्राम आरेनिया का पुरा तहसील हिण्डौन के खातेदार नारायण सूरजमल पि0 सरवन हि0 1/2 किशोरी पुत्र विशन्या वगै जाति जाटव शेष जमाबन्दी बदस्तूर के स्थान पर सिवायचक गै0मु0 पोखर न्यायालय आदेश तहसीलदार हिण्डौन के आदेश कमांक 2400 दिनांक 14.08.2014 की पालना में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30.06.2014 के आधार पर भरकर तस्दीक किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2068—71 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 857 रकबा 0.19 है0 किस्म नहरी1 वाके ग्राम आरेनिया का पुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी नारायण सूरजमल पि0 सरवन हि0 1/2 किशोरी पुत्र विशन्या घीस्या पुत्र बालमुकन्द रामसहाय रामचरण पि0 बुधराम हि0 बराबर हि0 1/2 दर हिस्सा 2/3, रामसहाय रामचरण पि0 बुधराम हि0 बराबर हि0 1/3 जाति चमार सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 52 नि0 दि0 19.01.2013 न्यायालय आदेश से खाते में जाति चमार के स्थान पर जाति जाटव स्वीकार हुई, नोट नामान्तकरण सं0 77 नि0 दिं0 02.09.2014 न्यायालय आदेश से खाता सिवायचक गै0मु0 पोखर दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 323 मिन, 319 रकबा 4 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 857 रकबा 0.19 है0, साबिक खसरा नम्बर 322 मिन रकबा 1 बिस्वा, 323 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 856 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन कायम किया गया है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037—40 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 323 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किस्म चाही 3 वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन की खातेदारी सरवन पुत्र पांच्या हि0 1/2, किशोरी बालमुकन्द पुत्र विसन्या वुधराम पुत्र गोकल हि0 1/2 बराबर जाति चमार निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खतौनी भू—प्रबन्ध विभाग के अनुसार हाल खसरा नम्बर 858 रकबा 0.36 है0 किस्म गै0मु0 पोखर वाके ग्राम नंगला जाट तहसील हिण्डौन की खातेदारी सिवायचक दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 323 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किस्म चाही 3 वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन की खातेदारी सायलान के पूर्वज सरवन पुत्र पांच्या हि0 1/2, किशोरी बालमुकन्द पुत्र विसन्या वुधराम पुत्र गोकल हि0 1/2 बराबर जाति चमार निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा दौराने सेटिलमेन्ट आराजी साबिक खसरा नम्बर 323 मिन, 319 रकबा 4 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 857 रकबा 0.19 है0 कायम किया गया है तथा जमाबन्दी सं0 2068—71 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 857 रकबा 0.19 है0 किस्म नहरी1 वाके ग्राम आरेनिया का पुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी नारायण सूरजमल पि0 सरवन हि0 1/2 किशोरी पुत्र विशन्या घीस्या पुत्र बालमुकन्द रामसहाय रामचरण पि0

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बुधराम हि0 बराबर हि0 1/2 दर हिस्सा 2/3, रामसहाय रामचरण पि0 बुधराम हि0 बराबर हि0 1/3 जाति चमार सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 52 नि0 दि0 19.01.2013 न्यायालय आदेश से खाते में जाति चमार के स्थान पर जाति जाटव स्वीकार हुई, नोट नामान्तकरण सं0 77 नि0 दिं0 02.09. 2014 न्यायालय आदेश से खाता सिवायचक गै0मु0 पोखर दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 857 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम आरेनिया का पुरा तहसील हिण्डौन की किस्म नहरी 1 से गै0मु0 पोखर एवं खातेदारी सिवायचक गै0मु0 पोखर न्यायालय के आदेश से हुई है। सायलान को उक्त न्यायालय के आदेश की एवं नामान्तकरण की अपील करनी चाहिए थी। किन्तु सायलान ने ऐसा नहीं किया बल्कि इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दायर किया है। जिसके सम्बन्ध में वाद में विचारण योग्य है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए विवादित आराजी खसरा नम्बर 857 रकबा 0.19 है0 किस्म गै0मु0 पोखर वाके ग्राम आरेनिया का पुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सिवायचक गै0मु0 पोखर दर्ज रिकार्ड है। जिसके बाबत् गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू ही सायलान के पक्ष में नजर आता है। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 857 रकबा 0.19 है0 किस्म गै0मु0 पोखर वाके ग्राम आरेनिया का पुरा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली